21.1.16 बकुलाय उप० कायम मुकाम की तलबी हेतु वकील वादी P.F सम्मन आज ही पेश करे पत्रावली दिनांक 10.3.16 को पेश हो।

10.3.16 बकुलाय उपस्थित। कायम मुकाम की तलबी हेतु वकील वादी P.F ~~सम्मन~~ आज ही पेश करे पत्रावली दिनांक 26-4-16 को पेश हो।

26.4.16 बकुलाय उपस्थित। कायम मुकाम की तलबी हेतु वकील वादी P.F सम्मन आज ही पेश करे अन्यथा तलबी बन्द कि जायेगी पत्रावली दिनांक 16-6-16 को पेश हो।

16/6/16 पत्रावली आज आपके द्वारा कैम्प बागोल पेश हुई। वादीनी का को.कु. प्रा०पत्र 6/4/15 का प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित [illegible] शीर्षक रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| | प्रकरण पुकारा गया। मजरा-नंगाणा कालुसिंह कानु. प्रार्थी स्वयं उपस्थित रहा। ऐसी स्थिति में उनको तलब किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष अप्रार्थी को उपस्थित पर समापूरित किये जाने के बावजूद प्रार्थी की ओर से शहादत हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं अतः शहादत प्रतिवादी बंद की जाती है।<br>हमने पत्रावली एवं माननीय न्यायालय RAA पाली के निर्णयानुसार नई तलबी जोड़कर नई तलबीयात कायम की गई। इसी आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।<br>अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। तलबीवार निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। डिक्री पर्चा अलग से बनाया जाकर पत्रावली बंद हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता रिकार्ड भंडार जमा हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>देसूरी (पाली) |

# न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) न्याय आपके द्वार केम्प– अटल सेवा केन्द्र– बागोल

पिठासीन अधिकारी– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (R.A.S.)
राजस्व मूल पुराना वाद संख्या–46/2002
वर्तमान नया राजस्व मूल वाद संख्या– 45/2009
तारीख निर्णय– / /2016

**वादी–**

मृत भंवरसिंह पुत्र जुहारसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा की वारिस कायम मुकाम मृत धर्मी पत्नि स्व0 भंवरसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा का कायम मुकाम वारिस रामसिंह पुत्र जवरसिंहजी उर्फ जुहारसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

–: विरूद्धः–

**प्रतिवादीगण–**

1– मृत कालुसिंह पुत्र भोपालसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा के कायम मुकाम व वारिसान–
1/1– पोनीकुंवर पत्नि कालुसिंहजी उम्र–वयस्क,
1/2– सवाईसिंह पुत्र कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/3– फेपसिंह पुत्र कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/4– जयसिंह पुत्र कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/5– परीयाकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/6– रतनकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/7– सासियाकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/8– पपुकंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/9– टिपुकंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/10– सेलाकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
जातिगण– राजपूत, निवासीगण– देवडो का गुडा, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)
2– तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

**–: वाद अन्तर्गत धारा– 88, 92ए, 188, राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 :–**
**सपठित धारा–136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति–**

1– श्री महेन्द्र शर्मा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2– श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0–1की ओर से।

———क्रमशः पेज– 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

–: निर्णय :– दिनांक–13/6/2016

वादी की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा– 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा डायलानाखुर्द, पटवार हल्कास– डायलानाकलां, तहसील– देसूरी में वादी की खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर– 92मी. रकबा– 6 बीघा, खसरा नम्बर– 92 मी. रकबा– 6 बीधा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर– 80 मी. रकबा– 5 बीघा, खसरा नम्बर– 86 रकबा– 2 बीघ 18 विस्वा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा– 19 बीघा 13 विस्वा लगान रूपयां– 15.26 थी, जो जमाबंदी सम्वत् 2028 से 35 से स्पष्ट साबित है। उक्त आराजी पर अकेले वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की शांतिपूर्वक चली आ रही है। उसके पश्चात् सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही अमल में आयी दौराने सेटलमेंट कार्यवाही कार्यवचाही के उपरोक्त वर्णित वादी की पुरानी खातेदारी की कब्जा सुदा आराजियात के नये खसरा नम्बर– 449 रकबा– 2.51 हैक्टर किस्म चाही जाव दोयम, खसरा नम्बर– 448 रकबा– 0.01 हैक्टर किस्म गै0मु0 बेरा कुल रकबा– 2.52 हैक्टर, लगान रूपयां– 54.90 बनाये गये, जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपि से स्पष्ट है, लेकिन सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी आधार के विधि विरूद्ध तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भू–प्रबन्ध विभाग की गलति व भूल से वादी के साथ सह खातेदार के रूप मे प्रतिवादी संख्या एक का नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या एक का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। सेटलमेंट विभाग की गलति व भूल से प्रतिवादी संख्या एक का नाम वादी की खातेदारी भूमि में दर्ज कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध है अतः वादी की उक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर–' 448, 449 कुल रकबा– 2.52 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या एक का नाम हटाया जावे एवं उक्त कुल आराजी का वादी अकेले को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के वादी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या एक को रोका जावे। मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन ववास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या दो फोरमल पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नही किया एवं प्रतिवादी संख्या एक की ओर से जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर अकेले का कब्जा काश्त होने का कथन गलत हैं उक्त आराजी पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा है उसी अनुसार मौके पर काबिज है। उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक का संयुक्त कब्जा काश्त गत 50 वर्षो से शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं उक्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी सं0 एक बेरा भी आधी आधी राशि लगाकर खुदवाया है। उसी अनुरूप उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं उक्त आराजी सेटलमेंट के पूर्व अकेले वादी के नाम दर्ज थी, परन्तु मौके पर प्रतिवादी संख्या एक का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त था। मौके पर कब्जे काश्त होने पर ही सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादी संख्या एक का नाम दर्ज

–––क्रमशः पेज– 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

किया, जो सही दर्ज किया है। वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या एक का का गत् 18 वर्षो से बहैसियत खातेदार कब्जा काश्त चला आ रहा है, उसके बाद नाम हटाने का दावा पेश करने का कोई सबूत साय प्रस्तुत भी नही किया। पुराने रिकार्ड मे सिर्फ अकेले वादी का ही नराम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने की कृचेष्टा एवं बदनिययत से इतने लम्बे अर्सा बाद वादी द्वारा वाद कत्तई गलत पेश किया है अतः वादी का वाद विधि विरूद्ध आधारहिन, सारहिन होने से खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर वादी की शहादत लेखबद्ध की गई एवं प्रतिवादी संख्या एक द्वारा कोई शहादत पेश नही किये जाने से न्यायालय द्वारा शहादत प्रतिवादी बंद की गई एवं बहस सुनी जाकर तनकीवाईज इस प्रकरण में पूर्व मे दिनांक– 23/01/2006 को निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया जाकर वाद वादी डिक्री किया गया। जिस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या एक द्वारा माननीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के न्यायालय मे अपील/पाली/08/2007 प्रस्तुत की गई, जिसका निर्णय दिनांक–03/11/2007 को माननीय अपील न्यायालय द्वारा किया जाकर अपील निर्णय मे वर्णित निर्देशो के साथ इस अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई। जिस पर इस न्यायालय द्वारा यह वाद पुनः राजस्व मूल वाद संख्या– 45/009 पर दर्ज किया जाकर अपील के निर्णय के निर्देशानुसार पुनः सुनवाई की गई एवं नई तनकी विरचित की जाकर पत्रावली शहादत वादी हेतू नियत कीगई। वादी की ओर से गवाह पीडब्लू–1 धरमी के बयान लेखबद्ध किये जाकर परिक्षित किये गये। वादी की गवाह रिबिटल रखते हुए शहादत वादी बंद की जाकर मिसल वास्ते शहादत प्रतिवादी हेतू नियत की गई। जो काफी सयमय तक शहादत वादी हेतू चली दिनांक– 18/11/11 को प्रतिवादी को शहदत पेश करने हेतू अंतिम समय दिया गया फिर दिनांक–22/12/11 को 200/– रूपये कोस्ट पर प्रतिविादी को शहादत हेतू समय दिया गया। इसके पश्चात् भी प्रतिवादीह द्वारा शहादत पेश नही की गई जिस पर दिनांक-- 9/04/2012 को पिफर प्रतिवादी को रूपये–300/– कोस्ट पर शहादत हेतु समय दिया गया।

यह पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट न्याय आपके द्वारा कैम्प, बागोल मे पेश हुई। वादीनी का कायम मुकाम प्रा0प. दिनांक–6/4/15 को प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक रेकर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी द्वारा काफी मौके शहादत हेतू दिये जाने के उपरान्त भी आज तक प्रतिवादी द्वारा कोई शहादत पेश नही की जाने से मामला पुराना होने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई। बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। निर्णय तनकीवाईज निम्नानुसार किया जाता है–

<u>तनकी संख्या–1 एक–</u> आया ग्राम– डायलानाखुर्द मे स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर– 92 मी. रकबा– 6 बीघा, खसरा नम्बर–92 मी. रकबा– 6 बीघा, किस्म– बारानी प्रथम, खसरा नम्बर– 80 मी. रकबा– 5 बीघा , खसरा नम्बर– 86 रकबा– 2 बीघा 18 विस्वा कुल रकबा– 19 बीघा 13 विस्वा, जिसके नये

---क्रमशः पेज– 4 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (राज.)

खसरा नम्बर– 449 रकबा–2.51 हैक्टर किस्म चाही जाव दोयम, खसरा नम्बर– 448 रकबा– 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा कुल रकबा– 2.52 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त सुदा भूमि है एवं इस पर लगातार कब्जा काश्त अकेले वादी का ही चला आ रहा है? ..... जिम्मेवादी

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड प्रदर्श–1 प्रमाणित प्रतिलिपि पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 , प्रदर्श–2 पुरानी जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 की प्रमाणित प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि, पर्चालगान इएक्स–3 सम्वत् 2036 की प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य गवाह पीडब्लू–1 भंवरसिंह पुत्र जुहारसिंह, पीडब्लजू–2 भंवरसिंह पुत्र करणसिंह , पीडब्लू–3 बाघसिंह पुत्र रतनसिंह एवं पीडब्लू–1 धर्मिकंवर पत्नि भंवरसिंह के बयानो आदि से विवादित आराजी पुराने खसरा नम्बर–92 मी. रकबा– 6 बीघा, खसरा नम्बर–92 मी. रकबा– 6 बीधा, किस्म– बारानी प्रथम, खसरा नम्बर– 80 मी. रकबा– 5 बीघा , खसरा नम्बर– 86 रकबा– 2 बीघा 18 विस्वा कुल रकबा– 19 बीघा 13 विस्वा, जिसके नये खसरा नम्बर– 449 रकबा–2.51 हैक्टर किस्म चाही जाव दोयम, खसरा नम्बर– 448 रकबा– 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा कुल रकबा– 2.52 हैक्टर वादी की खातेदारी आधिपत्य की होना स्पष्टतया साबित है अतः तनकी नम्बर–1 का विनिश्चय एवं निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

<u>तनकी संख्या–2 दो–</u> आया वादी खसरा नम्बर– 449 व 448 की सम्पूर्ण भूमि के खातेदार अपने आपको घोषित करवा सकते है ? .....जिम्मे वादी

तनकी संख्या–1 के विस्तृत विवेचनअनुसार तनकी संख्या–1 वादी के पक्ष मे निर्णत होने से एवं चूँकि नये खसरा नम्बर– 449 व 448 की आराजी वादी की खातेदारी आधिपत्य की पुराने खसरा नम्बर– नम्बर–92 मी. रकबा– 6 बीघा, खसरा नम्बर–92 मी. रकबा– 6 बीधा, किस्म– बारानी प्रथम, खसरा नम्बर– 80 मी. रकबा– 5 बीघा , खसरा नम्बर– 86 रकबा– 2 बीघा 18 विस्वा कुल रकबा– 19 बीघा 13 विस्वा से बनना राजस्व अभिलेख जमाबंदी पुरानी एवं नई एवं मिलान क्षेत्रफल से साबित है एवं पुराने राजस्व अभिलेख रिकार्ड आफ राईट सेटलमेंट पूर्व की जमाबंदियों से उक्त विवादित आराजी सम्पूर्ण वादी के अकेले की होना साबित है। सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादी का नाम बतौर सह खातेदार के गलत रूपेण दर्ज हुआ है, जो कि सेटलमेंट की भूल एवं गलती से दर्ज हुआ है जो पुराने एवं नये रिकार्ड से साबित है। सेटलमेंट विभाग को किसी की खातेदारी विलोपित करने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से खातेदारी दर्ज करने आदि का कोई कानूनन हक अधिकार नही था। सेटलमेंट विभाग को सिर्फ पुराने रिकार्ड अनुसार इन्द्राजात को दौहराने मात्र का ही अधिकार था जिससे स्पष्टतया सेटलमेंट की भूल एवं गलति अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर प्रतिवादी सं0–1 का नाम दर्ज किया है। प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपने कथन को सक्षम अभिलेखिय साक्ष्य आदि से अपने पक्ष मे साबित नही करवा पाया है। अतः इस तनकी संख्या–2 का विनिश्चय एवं निर्णय वादी के पक्ष मे किया जाता है।

———क्रमशः पेज– 5 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी ( पाली )

**तनकी संख्या–3 तीन–** आया वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी के सांयुक्त पुश्तैनी हकदारी एवं कब्जा कास्त शुदा है ? .....प्रतिवादी

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा अपने कथन की ताईद मे कोई अभिलेखिय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे इस तरकी को प्रतिवादी अपने पक्ष मे साबित कराने मे सफल नही हो पाया है एवं प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो सके कि वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त पुश्तैनी हकदारी एवं कब्जा कास्त सुदा हो। इसके विपरित वादी अपने कथन को सक्षम अभिलेखिय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। अतः इस तनकी संख्या–3 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

**तनकी संख्या–4 चार–** आया विवादित भूमि पर प्रतिवादी 18 वर्षो से कब्जा काश्त है एवचं प्रतिवादी का एडवर्स पजेशान हो चुका है ? ..... जिम्मे प्रतिवादी

प्रतिवादी की ओर से अपने कथन की ताईद मे न तो कोई अभिलेखिय साक्ष्य सबूत पोश किया न ही शहादत प्रतिवादी पेश की है, जिससे वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी का एडवर्स पजेशन होना साबित हो सके। प्रतिवादी इस तनकी को अपने पक्ष मे साबित कराने मे असफल रहा है अतः इस तनकी संख्या–4 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

**तनकी संख्या– 5 पांच–** आया वादी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

..... जिम्मे वादी

तनकी संख्या–1, 2 के विवेचन अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी की पुरानी खातेदारी आधिपत्य की होना साबित है। सेटलमेंट विभाग को बिना किसी आधार के अपने अधिकार क्षेत्र के परे वादी की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी मे वादी के साथ सह खातेदार के रूप मे प्रतिवादी का नाम दर्ज करने का कोई अधिकार नही था। वादी अपनी खातेदारी की वादग्रस्त आराजी के संबंध मे प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। अतः इस तनकी संख्या–5 पांच को इसी अनुरूप वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादी के विरूद्ध विनिश्चय एवं निर्णित किया जाता है।

**तनकी संख्या– 6 छः –** आया वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से पर 50 वर्षो से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है एंव कब्जा था। वाद मयाद बाहर जा चुका व कब्जा का वाद के अभाव मे वादी खातेदारी घोषणा वच निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है.....जिम्मे प्रतिवादी

प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा अपने कथन की ताईद मे ऐसा कोई अभिलेखिय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, जिससे वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से पार प्रतिवादी का 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हो व कब्जा था। जबकि वादग्रस्त आराजी पर कब्जा वादी का होना वादी द्वारा सक्षम अभिलेखिय

———क्रमशः पेज– 6 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी ( पाली )

एवं मौखिक साक्ष्य से साबित कराया है। प्रतिवादी अपने कथन को साबित कराने मे पूर्णतया विफल रहा है। खातेदारी घोषणा का वाद कभी भी लाया जा सकता है। अतः इस तनकी संख्या–6 का विनिश्चय एवं निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

**तनकी संख्या– 7 सात** – आया प्रतिवादी संख्या एक रेकर्डेड खातेदार है, जिसके विरूद्ध निषेधाज्ञा का वाद मेन्टेनेबल नही है ? .......जिम्मे प्रतिवादी

उपर की तनकीयात संख्या–1 व 2 मे विवेचित अनुसार वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट से पूर्व वादी की अकेले की खातेदारी आधिपत्य की होना पुरानी जमाबंदियों राजस्व रिकार्ड से साबित है। मात्र सेटलमेंट की कार्यवाही के दौरान वादी एवं प्रतिवादी सं0–1 की भूमि पास–पास होने से सेवन / गलति से वादी की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी मे वादी के साथ प्रतिवादी संख्या–1 का नाम भी दर्ज हुआ है, जो मात्र सेटलमेंट की गलति से दर्ज हुआ प्रतीत होता है, जिससे प्रतिवादी को इससे कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है एवं नही प्रतिवादी द्वारा किसी सक्षम साक्ष्य से अपने कथन को साबित ही कराया है। जबकि वादी द्वारा सक्षम अभिलेखिय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी अपनी खातेदारी आधिपत्य की होना साबित कराया है। अतः इस तनकी संख्या–7 सात को प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध विनिश्चय एवं निर्णित किया जाता है।

**संशोधित तनकी–** आया विवादग्रस्त आराजी मे बेरा संयुक्त खुदवाया गया है ?

.....................जिम्मे– प्रतिवादी

इस तनकी को प्रतिवादी द्वारा साबित कराने हेतू कोई अभिलेखिय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है, एवं न ही किसी साक्ष्य से अपने कथन को साबित कराया है। अतः इस संशोधित तनकी का विनिश्चय व निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किया जाता है।

उपरोक्त रूपेण तनकी संख्या–1, 2 व 5 वादी के पक्ष मे एवं तनकी संख्या– 3, 4, 6, 7 एवं संशोधित तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरूद्ध किये जाने से एवं वादी द्वारा सक्षम साक्ष्य से अपने वाद को साबित कराये जाने के परिणामस्वरूप वाद वाद स्वीकार योग्य एवं बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिकी योग्य मानता हूँ।

## –: आदेश :–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिकी पारित की जाती है कि– वादग्रस्त आराजी मौजा डायलानाखुर्द, पटवार हल्कास– डायलानाकलां, तहसील– देसूरी में स्थित वादी की पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर– 92मी. रकबा– 6 बीघा, खसरा नम्बर– 92 मी. रकबा– 6 बीघा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर– 80 मी. रकबा– 5 बीघा, खसरा नम्बर– 86 रकबा– 2 बीघ 18 विस्वा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा– 19 बीघा 13 विस्वा लगान रूपयां– 15.26 से

–––कमशः पेज– 7 पर...........

नये बने वर्तमान खसरा नम्बर– 449 रकबा– 2.5100 हैक्टर किस्म चाही जाउव दोयम, खसरा नम्बर– 448 रकबा– 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा– 2.5200 हैक्टर सम्पूर्ण वादी अकेले की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या–1 का नाम खातेदारी रिकार्ड से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबंदी मे अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– उक्त वादग्रस्त आराजी के वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या–एक किसी प्रकार से कोई दखलन्दाजी नही करे न किसी अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे। तदनुरूप डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी

निर्णय आदेश आज दिनांक 13-6-16 को लोक अदालत / कैम्प कोर्ट न्यायि आपके द्वार कैम्प मे सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी

# –: अंतिम डिगरी बमुकदेमें इब्तदाई :–

( ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, देसूरी (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) न्याय आपके द्वार केम्प– अटल सेवा केन्द्र– बागोल

---

पिठासीन अधिकारी– श्री पर्वतसिंह चुण्डावत (R.A.S.)
राजस्व मूल पुराना वाद संख्या–46/2002
वर्तमान नया राजस्व मूल वाद संख्या– 45/2009
तारीख निर्णय–13/6/2016

**वादी–**

मृत भंवरसिंह पुत्र जुहारसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा की वारिस कायम मुकाम मृत धर्मी पत्नि स्व0 भंवरसिंहजी, जाति–राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा का कायम मुकाम वारिस रामसिंह पुत्र जवरसिंहजी उर्फ जुहारसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)

–: विरूद्ध:–

**प्रतिवादीगण–**

1– मृत कालुसिंह पुत्र भोपालसिंहजी, जाति– राजपूत, निवासी– देवडो का गुडा के कायम मुकाम व वारिसान–
1/1– पोनीकुंवर पत्नि कालुसिंहजी उम्र–वयस्क,
1/2– सवाईसिंह पुत्र कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/3– फेपसिंह पुत्र कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/4– जयसिंह पुत्र कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/5– परीयाकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/6– रतनकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/7– सासियाकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/8– पपुकंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/9– टिपुकंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
1/10– सेलाकुंवर पुत्री कालुसिंहजी, उम्रं– वयस्क,
जातिगण– राजपूत, निवासीगण– देवडो का गुडा, तहसील– देसूरी, जिला– पाली (राजस्थान)
2– तहसीलदारजी, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

**–: वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89 92ए, 188, राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 :–**
**सपठित धारा–136 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956**

मुकदमा नम्बर– राजस्व मूल वाद संख्या–45/2009

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफिसाल कत्तई रूबरू हमारे वकील श्री महेन्द्र शर्मा मिनजानिब मुद्दई व ..... मिनजानिब मुद्दायलाहीम पेश होकर हुक्म दिया जाता है व

–––क्रमशः पेज– 2 पर.....

डिगरी दी जाती है कि– अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जाती है कि– वादग्रस्त आराजी मौजा डायलानाखुर्द, पटवार हल्कास– डायलानाकलां, तहसील– देसूरी में स्थित वादी की पुरानी खातेदारी की कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर– 92मी. रकबा– 6 बीघा, खसरा नम्बर– 92 मी. रकबा– 6 बीधा किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर– 80 मी. रकबा– 5 बीघा, खसरा नम्बर– 86 रकबा– 2 बीघ 18 विस्वा किस्म बारानी दोयम कुल रकबा– 19 बीघा 13 विस्वा लगान रूपयां– 15. 26 से नये बने वर्तमान खसरा नम्बर– 449 रकबा– 2.5100 हैक्टर किस्म चाही जाउव दोयम, खसरा नम्बर– 448 रकबा– 0.0100 हैक्टर किस्म गै.मु. बेरा कुल रकबा– 2.5200 हैक्टर सम्पूर्ण वादी अकेल की खातेदारी आधिपत्य की घोषित की जाती है एवं प्रतिवादी संख्या–1 का नाम खातेदारी रिकार्ड से हटाया जाने का आदेश दिया जाता है। माफिक डिक्री राजस्व अभिलेख वर्तमान जमाबंदी मे अमलदरामद किया जावे। प्रतिवादी संख्या–1 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– उक्त वादग्रस्त आराजी के वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग मे प्रतिवादी संख्या–एक किसी प्रकार से कोई दख्लन्दाजी नही करे न किसी अन्य से करावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करेगे।

नीज ..... ×× ..... मुबलिक .... ×× ..... बाबत .... ×× ..... खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर .... ×× ..... फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल पावे तक .... ×× ..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख–13 माह 6 सन् 2016

मोहर दस्तखत

औहदा.....

| मुद्धई | रूपयां पैसा | मुद्धायलास | रूपया पैसा |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | स्टाम्प वकालतनामा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | | फीस कमिश्नर | |
| फीस कमिश्नर | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | मुत्फरिक | |
| मिजान | | मिजान | |

नोट– इस खर्चे के फाम पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावे।